कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांकः न–9/स्कू0भ0मा0–D-PO-209-2023

दिनांकः जून 22, 2023

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
DELHI PUBLIC SCHOOL
KH. NO-338, 339, 343, 345 M, VILLAGE-KHUSHALPUR
PARGANA-PACHWADOON, TEHSIL-VIKASNAGAR
जनपद–देहरादून।

विषय **अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।**

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एंव आपात सेवा उत्तराखण्ड की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 10588303 दिनांक 02.06.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा KH. NO-338, 339, 343, 345 M, VILLAGE-KHUSHALPUR, PARGANA-PACHWA DOON, TEHSIL-VIKASNAGAR, जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (DELHI PUBLIC SCHOOL) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी विकासनगर द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 15.06.2023 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन भूतल एवं प्रथम तल में निर्मित है। भवन का मानचित्र भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल में स्वीकृत है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के भूतल में 20 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक तथा भवन 10 हजार लीटर क्षमता का टैरिस टैंक का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 11 अदद होजरील (30 मीटर लम्बी मय नाजुल) का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में 11 अदद ए0बी0सी0 तथा 04 अदद सी0ओ0टू0 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया गया है, जो कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा मे है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में एम0सी0पी0 एवं हूटर का प्राविधान किया गया है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। फायर पम्प हेतु अलग से विद्युत चेन्ज ओवर लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
9. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 एवं ई0एल0सी0बी0 पर आधारित है।
10. प्रश्नगत भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
11. स्वामी/प्रबन्धक को प्रश्नगत भवन के निकास मार्गो/सैट बैक को सदैव साफ (Clear) व अवरोध रहित रखा जाए, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भवन स्वामी का होगा। भवन के चारों तरफ छोड़े गये सैट बैक में किसी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या अस्थाई ढांचा नहीं बनाया जायेगा।
12. प्रश्नगत भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं एंव उपनिदेशक (तकनीकी), उत्तराखण्ड अग्निशमन एंव आपात सेवा देहरादून महोदय के ऑनलाईन अनुमोदनोपरान्त दिनांकित 22.06.2023 के आधार पर KH. NO-338, 339, 343, 345 M, VILLAGE-KHUSHALPUR, PARGANA-PACHWA DOON, TEHSIL-VIKASNAGAR, जनपद देहरादून में निर्मित शैक्षणिक भवन (DELHI PUBLIC SCHOOL) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नही है। वशर्ते भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रबन्धक प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चत करेंगें। उत्तराखण्ड शासन, गृह अनुभाग–03 की अधिसूचना संख्या–342/XX-3/2021-2(39)/2006 देहरादूनः दिनांक 29 नवम्बर, 2021 के अनुपालन में उक्त व्यवस्था के कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/Audit Report प्रति छः माह में प्रस्तुत/अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक के लिए वैध होगा। यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों कों रखेगें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। भवन मे फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–01360–222261 एंव पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर–100, 112 एवं एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं0–108 अंकित करेगें। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

22/06/23

(आर0 एस0 खाती)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून